न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्त सिंह (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 3149/2015

प्रार्थीः–

1. श्रीमती रेखादेवी धर्मपत्नि श्री जसवंतराज मेहता जाति ओसवाल जैन निवासी 15, बागर मौहल्ला, पाली तहसील पाली व जिला पाली जरिये आम मुख्तियार जसवंतराज मेहता पुत्र श्री दानमल मेहता, जाति ओसवाल जैन उम्र 59 वर्ष निवासी 15 बागर मौहल्ला, पाली तहसील व जिला पाली (राजस्थान)

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. मृत श्री सूरजप्रकाश पुत्र श्री भीकाराम जाति माली के विधिक उतराधिकारीगण
   1/1 श्रीमती चम्पादेवी पुत्री श्री सूरजप्रकाश (वास्तव में चम्पादेवी धर्मपत्नि सूरजप्रकाश जी) जाति माली
   1/2 श्री ललित पुत्र श्री सूरजप्रकाश जाति माली
   1/3 श्री अमृत उर्फ बाबू पुत्र श्री सूरजप्रकाश जाति माली सभी निवासीगण राजनगर मैन रोड़, महाराणा प्रताप सर्कल के पास, निम्बाड़ा रोड़, पाली तहसील पाली
   1/4 शौभादेवी पुत्री श्री सूरजप्रकाश जाति माली सभी निवासीगण राजनगर मैन रोड़, महाराणा प्रताप सर्कल के पास, निम्बाड़ा रोड़, पाली तहसील पाली
2. श्री भीखसिंह पुत्र श्री दलपतसिंह जाति राजपुरोहित
3. श्री सुरेश पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित
4. श्री रामसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह जाति राजपुरोहित
5. श्री मालमसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह जाति राजपुरोहित
6. श्री सुगनसिंह पुत्र श्री जवारसिंह जाति राजपुरोहित
7. श्री राणसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह जाति राजपुरोहित सभी निवासीगण धुरासनी तहसील सोजत
8. श्री जितेन्द्रकुमार पुत्र श्री नत्थूमल जाति सिंधी निवासी सिंधी कॉलोनी, पाली तहसील व जिला पाली
9. श्री श्यामलाल पुत्र श्री बंशीलाल जाति सिवाल ब्राह्मण
10. श्रीमती शौभादेवी पत्नि श्री कांतिलाल जाति सिवाल ब्राह्मण
11. श्रीमती चंदोदेवी पत्नि श्री मदनलाल जाति सिवाल ब्राह्मण
12. श्री भगवतीप्रसाद पुत्र श्री उदयराम जाति सिवाल ब्राह्मण

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

13. श्री जगदीशचंद्र पुत्र श्री उदयराम जाति सिवाल ब्राह्मण सभी निवासीगण प्रताप नगर, आई.टी.आई. रीको ऑफिस के सामने पाली तहसील व जिला पाली
14. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली
15. उप–पंजीयक पाली तहसील व जिला पाली

उपस्थितिः–

1. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः–

दिनांक 30.01.2019

1- प्रार्थीग ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाली चक प्रथम की सरहद में खसरा नंबर 184 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपये 6.70 स्थित है जिसे आगे वादग्रस्त भूमि संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 13 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी एवं आगे दर्ज अनुसार कब्जा काश्तसुदा स्थित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का 3/4 एवं 5/190 वां हिस्सा खातेदारी है, अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 का 3/20 वां हिस्सा खातेदारी है तथा शेष अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 13 का 14/190 वां हिस्सा खातेदारी है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में दर्ज अनुसार एक ही खाता है। वादग्रस्त भूमि उसके सह–खातेदारों में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुपात अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 13 के बीच मौके पर मोटे तौर पर मौखिक रूप से विभाजित की गई है। उक्त मौखिक बंटवाड़ा में प्रार्थीया के हिस्से में आई भूमि साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची ''अ'' में लाल रंग व मार्क A से दर्शाई गई है। उक्त आपसी मौखिक बंटवाड़ा में नजरी नक्शा अनुसूची ''अ'' में लाल रंग व मार्क A से बतायी गयी कृषि भूमि प्रार्थीया के हिस्से में रही जिस भूमि पर मौके पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त था, रहा तथा वर्तमान में भी प्रार्थीया का उपर दर्ज मौखिक बंटवाड़ा अनुसार संलग्न नक्शा में लाल रंग व मार्क A से बतायी गई भूमि पर वास्तविक भौतिक कब्जा काश्त आज भी कायम है। इसी प्रकार संलग्न नक्शा अनुसूची ''अ'' में हरे रंग से व मार्क **B** से दर्शित भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 के उपरोक्त आपसी मौखिक बंटवाड़ा में आई जिस पर वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 का कब्जा काश्त कायम है। इसी प्रकार नजरी नक्शा अनुसूची ''अ'' में पीले रंग से व मार्क C से दर्शित तथा संलग्न नक्शा अनुसूची ''ब'' में वर्णितानुसार कृषि भूखण्ड संख्या 02, 03, 08, 09 व 10 प्रार्थीया के हिस्से में रहे जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त कायम है एवं नजरी नक्शा अनुसूची ''ब'' में दर्ज शेष कृषि भूखण्ड अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 13 के हिस्से में आगे दर्ज अनुसार रहे, जिन पर आगे दर्ज अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 13 का कब्जा काश्त कायम है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 13 सहित सर्वश्री सज्जनसिंह पुत्र भीकसिंह, उम्मेदसिंह पुत्र दलपतसिंह, गंगासिंह पुत्र शिवलालसिंह, भैरूसिंह पुत्र हरीसिंह व अर्जुनसिंह पुत्र भंवरसिंह जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण धुरासणी ने उमेशकुमार व मुकेशकुमार पिसरान भंवरलाल दोनों नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता भंवरलाल जातिगण माली, निवासीगण भलावतों का बास, पाली से वादग्रस्त भूमि में से संलग्न नक्शा अनुसूची ''अ'' में पीले रंग से व मार्क " C"

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

से दर्शित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 18-07-1991 से खरीद की, तत्पश्चात् उपरोक्त विक्रेता भंवरलाल पुत्र भीकाजी माली निवासी भलावतों का बास, पाली एवं सभी केतागणों ने आपस में मिल बैठकर उपरोक्त रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 18-07-1991 के द्वारा खरीदसुदा 60 फीट बाई 400 फीट भूमि को कुल 19 भूखण्डों में विभक्त किया व प्लान नक्शा अनुसूची ''ब'' ''महावीर कॉलोनी'' के नाम से ड्राफ्टमेन मोहम्मद इकबाल से दिनांक 01-08-91 को बनवाया तथा रजिस्ट्री में कम संख्या के अनुसार केतागणों को नक्शा अनुसूची ''ब'' में वर्णित कृषि भूखण्डों के कम संख्या अनुसार कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त रजिस्ट्री में कम संख्या 02, 03, 08, 09 व 10 पर दर्ज केतागण सर्वश्री सज्जनसिंह पुत्र भीकसिंह, उम्मेदसिंह पुत्र दलपत, गंगासिंह पुत्र शिवलालसिंह, भैरूसिंह पुत्र हरिसिंह व अर्जुनसिंह पुत्र भंवरसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण धुरासणी ने संलग्न नक्शा अनुसूची ''ब'' में वर्णितानुसार कृषि भूमि संख्या 02, 03, 08, 09 व 10 प्रार्थीया को बएवज प्रतिफल रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 25-04-2013 को बेचाण हस्तांतरण किये तथा बैचाणसुदा भूमि का मौके पर वास्तविक भौतिक कब्जा प्रार्थीया को सुपुर्द किया जिसका म्यूटेशन संख्या 3133 दिनांक 15-12-2014 प्रार्थीया के पक्ष में स्वीकृत होकर उसका अमज दरामद राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में हो गया। वक्त बेचाण से प्रार्थीया संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची ''ब'' में वर्णित कृषि भूमि संख्या 02, 03, 08, 09 व 10 पर काबिज है तथा नजरी नक्शा अनुसूची ''ब'' में दर्ज शेष कृषि भूखण्डों का अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 13 को आपसी मौखिक बंटवाड़ा में उपर दर्ज अनुसार रजिस्ट्री कम संख्या के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची ''ब'' में वर्णित कृषि भूखण्डों के कमानुसार कब्जा सुपुर्द किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार सह-खातेदारी अवश्य दर्ज है परन्तु प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 13 का उपर दर्ज मौखिक बंटवाड़ा के बाद से मौके पर भौतिक रूप से अपने अपने हिस्सा की भूमि पर उपर दर्ज अनुसार अलग अलग कब्जा व काश्त है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 13 अपनी अपनी कब्जा-काश्तसुदा भूमि पर अलग अलग फसल बोते, काटते व अवेरते आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शा में वादग्रस्त भूमि सह-खातेदारी व अविभाजित होने से कई प्रकार की कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि को और अधिक उपज़ाउ व उन्नत बनाने के लिये सुधार का कार्य तक नहीं करवा पाती है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 13 वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करने हेतु सहमत नहीं हुये और वादीया व उसके आम मुख्तियार से झगड़ा करने पर उतारू हो गये एवं बंटवाड़ा करने से इंकार किया तथा प्रार्थीगया को ऐलानिया धमकी दी कि उसे उसके हिस्से की वादग्रस्त भूमि जो नक्शा अनुसूची ''अ'' में लालरंग से व मार्क A से बतायी गयी है पर काश्त नहीं करने देगें तथा प्रार्थीया को वादग्रस्त भूमि से पूर्ण रूप से बेदखल कर देगें। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 13 ने प्रार्थीया व उसके पति आम मुख्तियार को धमकी दी कि वे संलग्न नक्शा अनुसूची ''अ'' में लालरंग व मार्क A से दर्शित भूमि में से 100 बाई 100 फीट की विशिष्ठ हिस्सा भूमि पर कब्जा कर उक्त भूमि आगे से आगे अजनबी बदमाश प्रवृति के व्यक्तियों को बेचाण हस्तांतरण कर देगें तुम्हारे हो सके सो कर लो। वादग्रस्त भूमि में तोड़ फोड़ परिवर्तन-परिवर्द्धन करने अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 13 द्वारा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ पोरसन का बेचाण हस्तांतरण अजनबी व्यक्तियों को कर उन्हें कब्जा सुपुर्द करने से प्रार्थीया के हक अधिकार बुरी तरह से कुप्रभावित होगें व काफी कानूनी पैचीदगिंया पैदा होगी, प्रार्थीया अत्यधिक खर्चे से जैरबार होगी तथा प्रार्थीया को काफी शारीरिक व मानसिक क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 15 के विरूद्ध इस आशय व प्रभाव की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमावें कि मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 13 मौजा पाली चक प्रथम की सरहद में स्थित खसरा नंबर 184 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर बिना

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

बंटवाड़ा करवाये विशिष्ठ भाग का बेचाण हस्तांतरण अजनबी व्यक्तियों को नहीं करे, न ही उन्हें कब्जा सुपुर्द करें तथा उक्त खसरा नंबर 184 की भूमि पर प्रार्थीया के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे, न ही प्रार्थीया को उक्त खसरा नंबर 184 की भूमि पर से बेदखल करे और न ही उक्त कृत्य अपने परिवारजन, नौकर, एजेण्ट से करावें तथा अप्रार्थी संख्या 15 वादग्रस्त भूमि बाबत किसी प्रकार के हस्तांतरण विलेख का पंजीयन नहीं करें तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 14 मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखें।

2- प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 बावजूद नोटिस तामील होने के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध दिनांक 28–10–2015 को एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। बकाया अप्रार्थीगण के नाम नोटिस राजस्थान पत्रिका अखबार के पाली व बाड़मेर संस्करण में दिनांक 01–05–2018 को प्रकाशित करवाया गया तथा सुनवाई तारीख 09–05–2018 निर्धारित की गई। अप्रार्थीगण सुनवाई तारीख 09–05–2018 को न्यायालय में बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

3- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल वाद में बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। मूल वाद में अंतिम डिक्री जारी होने तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करने का निवेदन किया।

4- अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उनके विरूद्ध दिनांक 28–10–2015 एवं दिनांक 09–05–2018 को एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश हो जाने से प्रार्थना–पत्र का विरोध नहीं होने से प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5- अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. का आंशिक रूप से स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा पाली चक प्रथम की सरहद में स्थित खसरा नंबर 184 रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा भूमि के रेकर्ड एवं मौका की अप्रार्थीगण यथास्थिति बनाये रखे उसकी किसी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्द्धन ने तो अप्रार्थीगण स्वयं करें तथा न ही अपने परिवारजन, नौकर, एजेण्ट से करावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर दिनांक 30.01.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner